

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग,  
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर  
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाइन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक: F. 15(G)PD/DLB/NULM/15/CB&T/ 19698-19695 दिनांक 18-12-19

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी  
नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका,  
समस्त राजस्थान।

विषय:- DAY-NULM योजना के तहत किये जाने वाले समस्त भुगतान PFMS के माध्यम से करने बाबत।

सन्दर्भ:-SPMU, PFMS, Rajasthan का मीटिंग नोटिस क्रमांक PFMS/SPMU/ RAJ/ JPR/  
Meeting/ 2018-19/484 Dated 04/12/2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित मीटिंग नोटिस के क्रम में दिनांक 06.12.2019 को आयोजित मीटिंग में चर्चा एवं समय-समय पर PFMS के अधिकारियों द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि डे-एनयूएलएम योजना के तहत किये जाने वाले समस्त भुगतान PFMS के माध्यम से किये जावे। इसके लिए सक्षम स्वीकृति (वित्त विभाग) के बाद खोले गये बैंक खाते को PFMS पर लिंक/मैप करावें। यदि सक्षम स्वीकृति से केवल एक बैंक खाता खोला गया है तो एक बैंक खाते को ही एक से अधिक योजनाओं के लिए PFMS पर लिंक/मैप करवाया जा सकता है। अलग-अलग योजनाओं के लिए Ledger संधारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।

3 - 611.

(उज्जवल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: F. 15(G)PD/DLB/NULM/15/CB&T/ 19696 - 19697 दिनांक 18-12-19  
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. परियोजना निदेशक, निदेशालय।
2. प्रभारी अधिकारी, मॉनिटरिंग सेल, निदेशालय।



(उम्मेद सिंह)

वित्तीय सलाहकार